

निर्णय व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण
प्रकरण संख्या :53/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. नाथूलाल पुत्र श्री मांगीलाल जाति रेगर निवासी ग्राम जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री ललित कुमार गीना आर.ए.एस. पीठारीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ।
2. विरेन्द्र कुमार पुत्र रामकरण जाति महाजन निवासी ग्राम कोटपूतली तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड।
3. रेनु पत्नी स्व. ओम प्रकाश
4. हिमांशु पुत्र स्व. श्री ओम प्रकाश
5. चितारांशु पुत्र स्व. श्री ओम प्रकाश
6. गीता पत्नी स्व. श्री श्रवण लाल
7. भीना पुत्री स्व. श्री श्रवण लाल
8. अशोक पुत्र स्व. श्री श्रवण लाल
9. पेमाराम पुत्र बिज्या
10. कालू राम पुत्र बिज्या
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण।

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी प्रेमनगर,
खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर।

समस्त जाति रेगर निवासी ग्राम जमवारामगढ
जिला जयपुर ग्रामीण

अप्रार्थीगण



मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 222/2012 व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 192/2012 व उनवानी मांगीलाल बनाम वीरेन्द्र व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपरिथत -

1. श्री नेमीचन्द जलवानिया अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री अजीत सिंह चौहान अधिवक्ता अप्रार्थी 3 व 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 21.10.2024


1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 222/2012 व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 192/2012

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)



ब उनवानी मांगीलाल बनाम वीरेन्द्र व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 3 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री अजीत सिंह चौहान ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ में लम्बित मूल वाद पत्र के अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 रेणु व अन्य पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 से सांठ गांठ करने में लगे हुए हैं एवं आये दिन पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते हैं तथा उन पर राजनैतिक दबाव बना कर प्रकरण का अपने पक्ष में निर्णित करवाने को आमदा है। दिनांक 15.03.2024 को प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया कि उक्त पत्रावली की मैरिट के आधार पर सुनवाई कर उक्त वाद पत्र व प्रार्थना पत्र का फैसला कर दें, ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 ने कहा कि पीठासीन अधिकारी से हमारी सांठ गांठ हो चुकी है तथा पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण को जल्द से जल्द हमारे पक्ष में निस्तारित कर देंगे। हम किसी प्रकार के नियमों को नहीं मानते हैं। पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण को अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 रेणु व अन्य के पक्ष में निस्तारित करके रहेंगे। प्रार्थी को उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुये यह पूर्ण अन्देशा हो चुका है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को न्याय मिलने की कोई आशा शेष नहीं बची है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरणों को निस्तारण हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरणों को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।
5. अप्रार्थी संख्या 3 व 5 के अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनघडन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।
6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से अपनी टिप्पणी में प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं गुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के


जिला क्लर्क
जयपुर (प्रार्थीगण)

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..



(Handwritten signature in red ink)

... ..
... ..